

प्रेषक,

महेश कुमार
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (FTC)
प्रतापगढ़ ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
कानपुर देहात

द्वारा : माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय
प्रतापगढ़ ।

विषय : "पत्रांक-925/XV दिनांक 10-08-2021 की अनुपालन आख्या ।"
महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के उपरोक्त पत्रांक के विषय में चाहा गया विवरण पत्र माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है :-

Sr. No.	Particular	Related information
1.	Progress and disposal of Execution Cases, (Only for Officers dealing with Civil matters for the period 01.04.2020 to 31.03.2021)	Nil. नोट - (1.) मैं दिनांक 01.04.2020 से 27.04.2020 तक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Pocso & Rape) कक्ष संख्या 1 के रूप में तैनात रहा जहाँ पर एक भी इजराय वाद लम्बित नहीं था । (2.) उसके बाद मैं दिनांक 27.07.2020 से 07.08.2020 तक कुल 12 दिन विशेष न्यायाधीश (EC Act) के रूप में तैनात रहा । इन 12 दिनों में लॉकडाउन रहा । इन 12 दिनों में किसी भी इजराय वाद की पत्रावली में नियत तिथि नहीं थी जिस कारण इन 12 दिनों में इजराय की कोई पत्रावली मेरे समक्ष पेश नहीं हुई । इस न्यायालय में उस समय 5 इजराय वाद लम्बित थे जो न्यायालय में दिनांक 07.03.2020 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश हुए और उसके बाद दिनांक 18.08.2020 को मेरे बाद तैनात पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश हुए क्योंकि इस बीच लॉकडाउन के कारण कम्प्यूटर सेक्शन से तिथियाँ 01.04.2020, 28.04.2020, 22.05.2020, 19.06.2020 व 17.07.2020 नियत की गयीं और उसके बाद 18.08.2020 तिथि नियत की गयी । इस प्रकार विशेष न्यायाधीश (EC Act) के रूप में तैनात रहने के दौरान कोई भी इजराय की पत्रावली मेरे समक्ष नियत तिथि न होने के कारण पेश नहीं हुई । (3.) इसके बाद मैं दिनांक 07.08.2020 से 31.03.2021 तक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 5 के रूप में तैनात रहा जहाँ पर इस समयवाधि में कोई भी इजराय वाद लम्बित नहीं था ।
2	Whether interim orders, injunctions granted, refused or retained for sufficient reasons ? (for the period 01.04.2020 to 31.03.2021)	दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2021 तक मैं (1) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Pocso & Rape) कक्ष संख्या 1, (2) विशेष न्यायाधीश (EC Act) तथा (3) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 5 में तैनात रहा । इन तीनों न्यायालयों में अन्तरिम व्यादेश से सम्बन्धित कोई मुकदमा लम्बित नहीं था ।
3	Are case remanded on substantial grounds (for the period 01.04.2020 to 31.03.2021)	दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2021 तक मैं (1) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Pocso & Rape) कक्ष संख्या 1, (2) विशेष न्यायाधीश (EC Act) तथा (3) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 5 में तैनात रहा । इस दौरान मेरे द्वारा कोई भी सिविल अपील या क्रिमिनल अपील या अन्य कोई केस रिमान्ड नहीं किया गया ।

4	Performance with regard to decision of motor accident claims related to death/injury (Only for Addl. District Judge cadre courts for the period 01.04.2020 to 31.03.2021)	दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2021 तक मैं (1) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Pocso & Rape) कक्ष संख्या 1, (2) विशेष न्यायाधीश (EC Act) तथा (3) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 5 में तैनात रहा। इस दौरान मेरे समक्ष मोटर एक्सीडेंट क्लेम से सम्बन्धित कोई मुकदमा सुनवायी हेतु नहीं आया और न ही इस प्रकृति का कोई मुकदमा मेरे न्यायालय में लम्बित था।
5	Number of cases decided after acutal full contest (for the period 01.04.2020 to 31.03.2021)	23
6	Number of cases decided wherein all witnesses of fact turned hostile and the case ended in acquittal (for the period 01.04.2020 to 31.03.2021)	Nil
7	Number of civil cases decided on compromise/ alternative dispute resolution (for the period 01.04.2020 to 31.03.2021)	Nil
8	Number of cases wherein after conclusion of arguments and reserving them for judgment rehearing was ordered. (for the period 01.04.2020 to 31.03.2021)	Nil
9	State of health with remarks, if any.	Good.

सादर।

(भवदीय)

दिनांक : 13.08.2021

(महेश कुमार)

स्थान : प्रतापगढ़।

{अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (FTC), प्रतापगढ़।}